

कायस्थान उप कायस्थान

दादरी

२६ जून १९९६

राजस्थान नगरपालिका, काठमाडौं, नेपाल
स्थानीय नगरपालिका, काठमाडौं, नेपाल

डा. राजेश्वरी

प्रधान-डा. राजेश्वरी

डा. राजेश्वरी, काठमाडौं, नेपाल

१९६१५२००७-

२००७-

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश

कैलाश का कायस्थान एवं कायस्थान

कायस्थान नं. १२०७५२००७-

कायस्थान नं. १२०७५२००७-

कायस्थान नं. १२०७५२००७-

कायस्थान नं. १२०७५२००७-

कायस्थान नं. १२०७५२००७-

कायस्थान नं. १२०७५२००७-





(2)

विक्रीत भूमि का विवरण

स्थित ग्राम दुरवाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०), कृषि भूमि खाता नं० 178 के खसरा नं० 18 रकबई 0.6830 हेक्टेयर में से रकबई 0.4300 हेक्टेयर ।

1. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/-रुपया प्रति हेक्टेयर लेकिन इस विक्रय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/-रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 17,84,600/- रुपये (सत्रह लाख चौरसी हजार पॉच सौ रूपए मात्र) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

दिनांक 20/1/20

महारा



का.मि.जी.प. २२ का.मि.पि.२२
 बावरी
 २२/११/०६
 स्टाम्प नं०-११० को.११.११
 स्टाम्प नं०-११० को.११.११
 सामिल किया गया
 हर. सो.वि.वा

निम्नकी पहचान की पथ
 पुत्र श्री विनोदकिशोर
 निवास अ.प. ११.११.११
 व को. ११.११.११
 व को. ११.११.११
 निवास अ.प. ११.११.११
 ३०/११

२२/११/०६

२२/११/०६

मा.जा

वि.वि.प.प.



प.व.म.



२१/११



निम्नकी पहचान की पथ
 पुत्र श्री विनोदकिशोर
 निवास अ.प. ११.११.११
 व को. ११.११.११
 व को. ११.११.११
 निवास अ.प. ११.११.११
 ३०/११

२२/११/०६
 २२/११/०६



03BB 187999

(3)

2. विक्रेता अनुसूचित जाति का है। विक्रेता ने इस आराय का श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है।

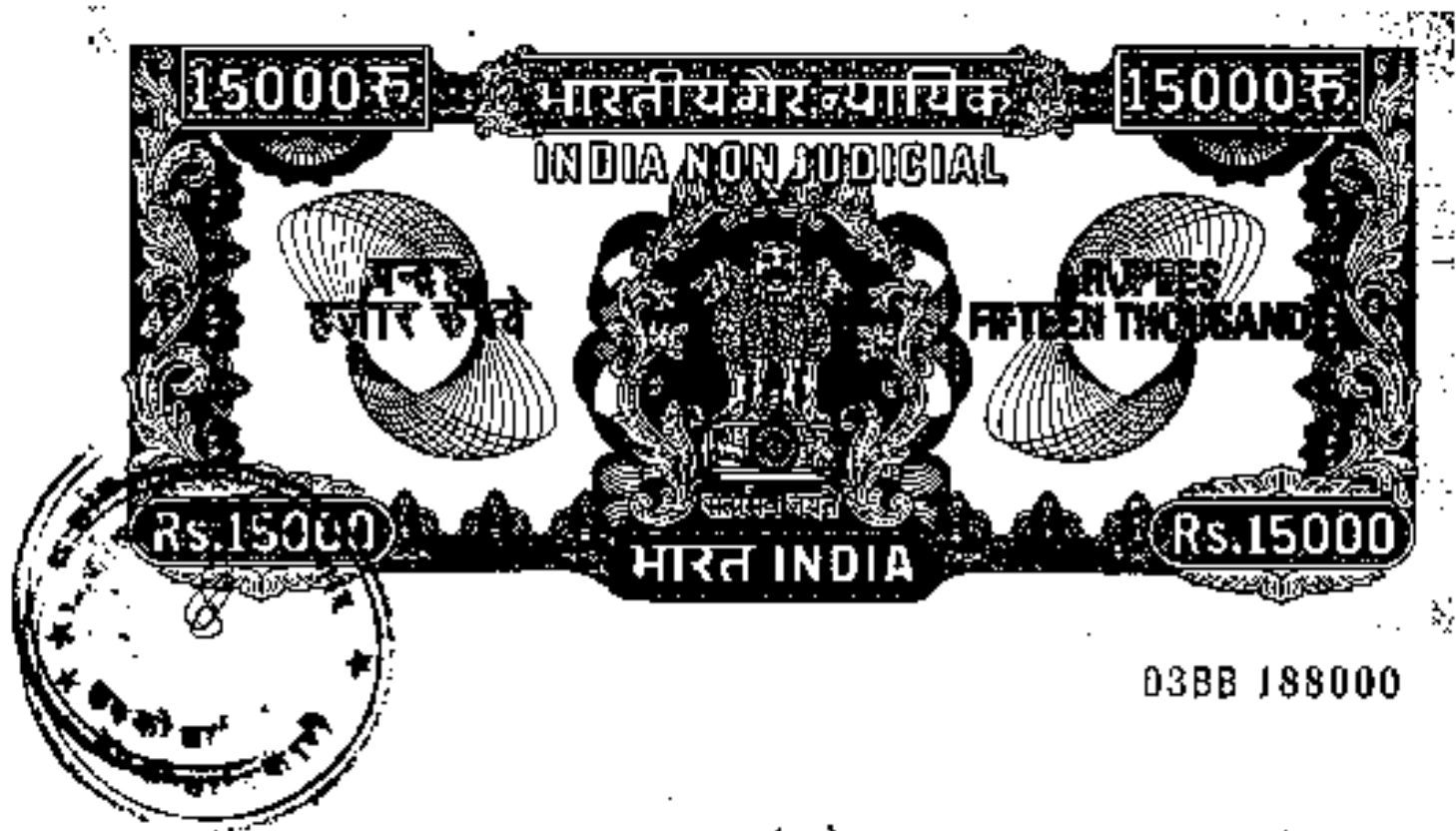
3. यह कि विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विक्रेता (करीब अखिल) संकमणीय भूमिधर हो चुका है। इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

सिद्धांत गुप्ता

मोडा

कार्यालय उप निदेशाधीन



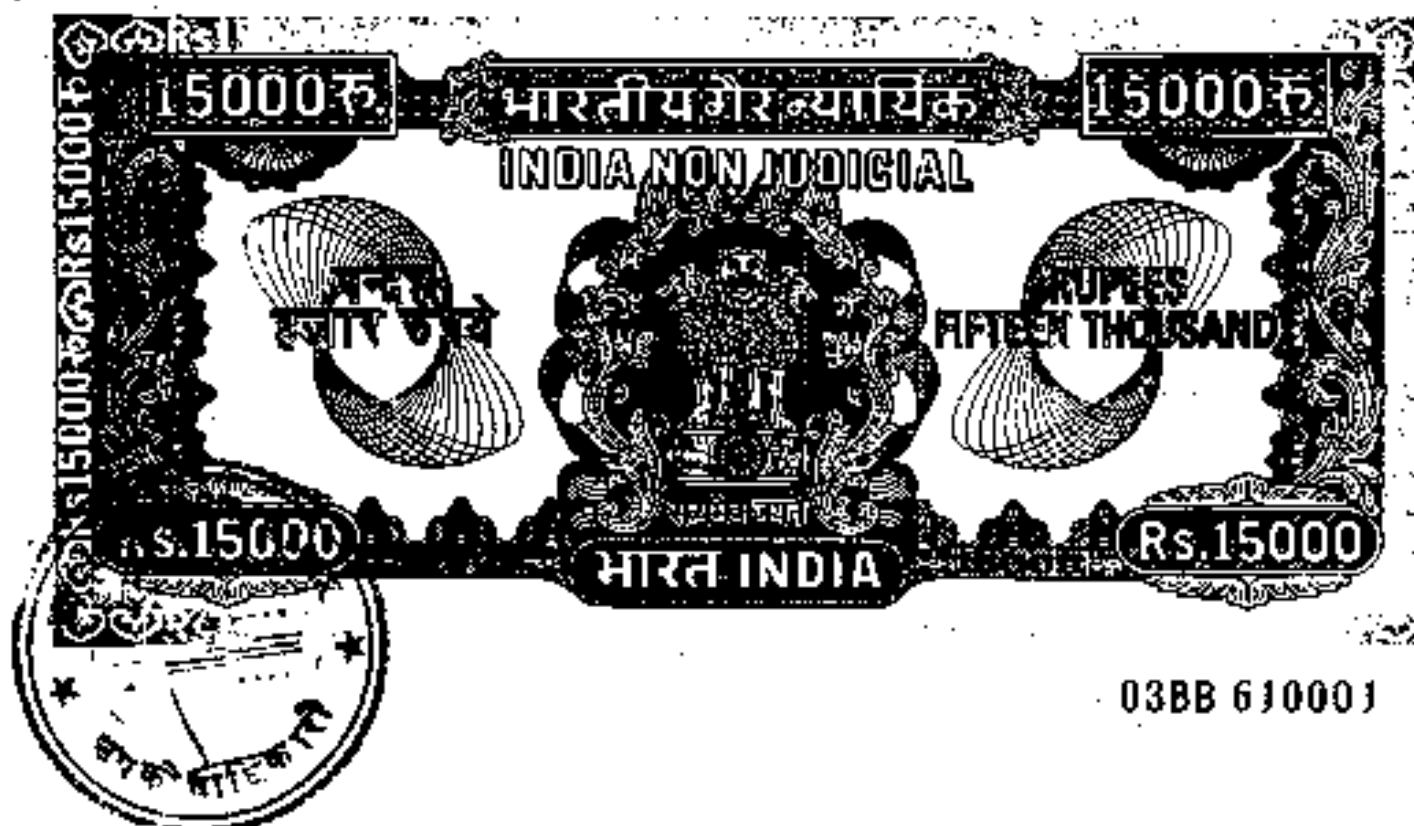


(4)
4. विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

प्रति 21/03/18

मि 3/1





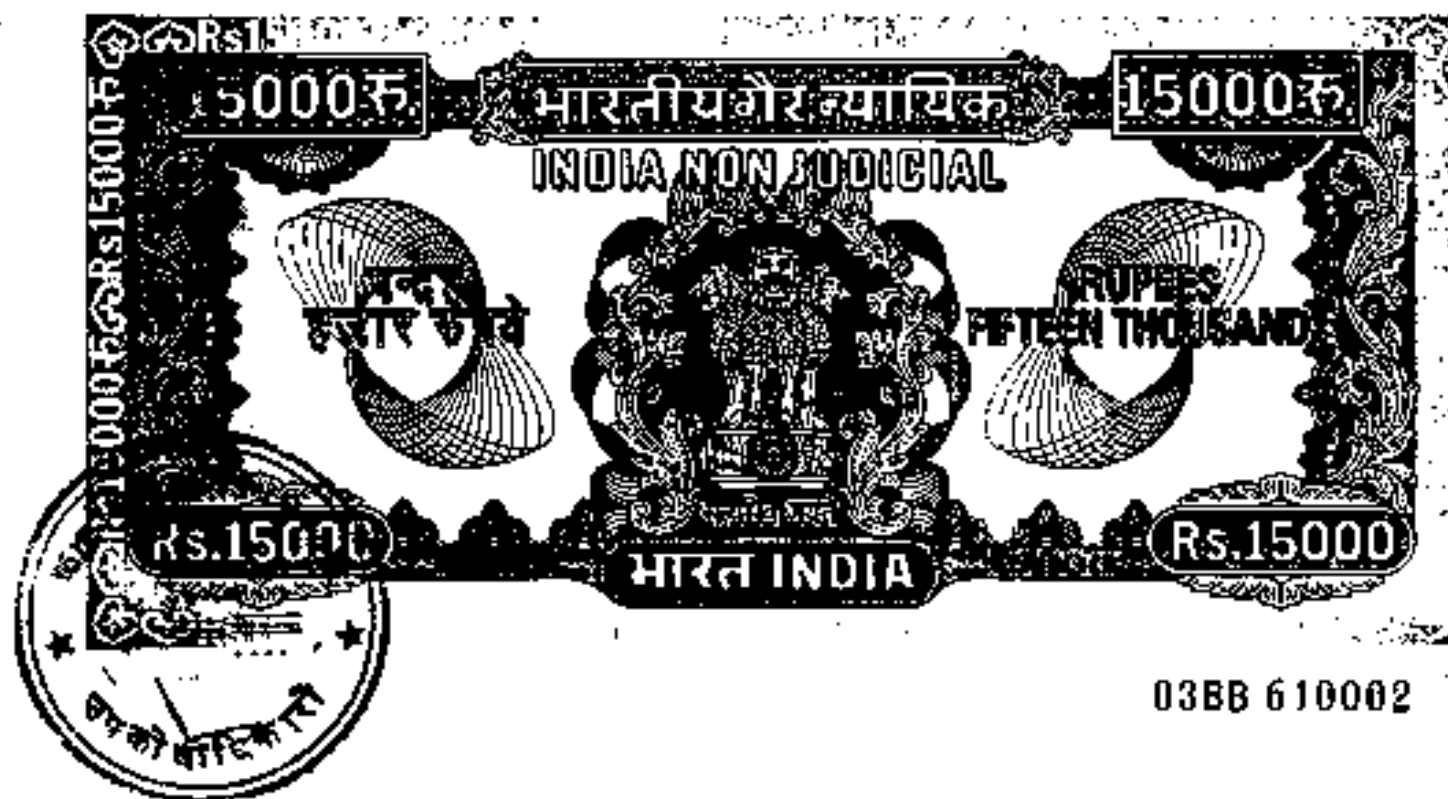
03BB 610001

(5)

5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है। तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222714 दिनांकित 17.10.2005 अंकन 1,53,000/- रुपये (एक लाख हजार रुपए मात्र) तथा नगद 30,000/- रुपये (तीस हजार छः सौ रुपए मात्र) दिनांक 17.10.2005 प्राप्त कर लिये थे।

कि. जे. १४४८

मो. डा.

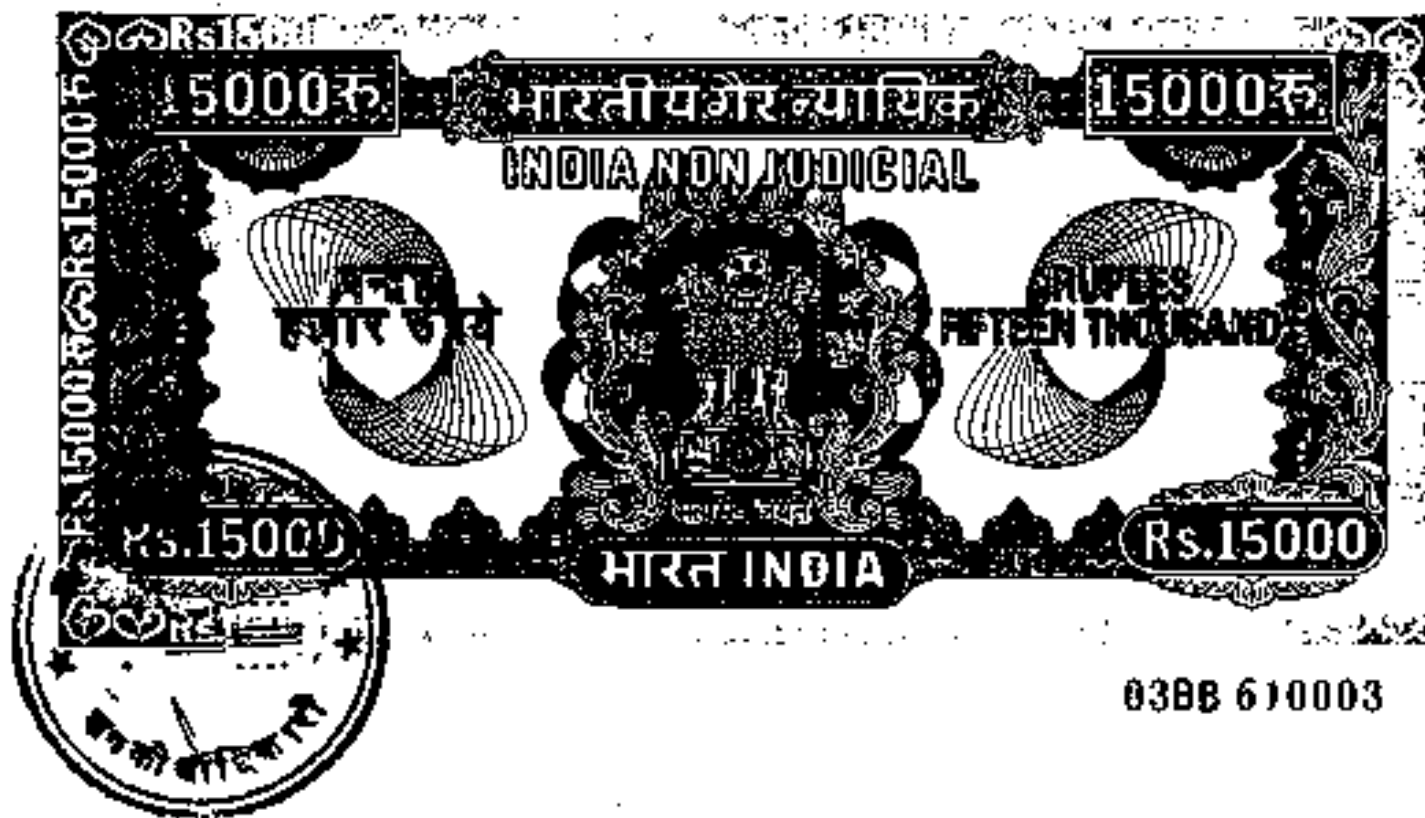


(8)

6. विकीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ / हम फरीक अव्वल (विकेता/विकेतागण)
की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विरय, वसीयत

विकेतागण

मोहता



(7)

आदि दोनों से मुक्त है कहीं अन्य जगह आद. रहन बय. हिबै महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ट्रस्ट नहीं है और न ही इस शब्द कोई मामला किसी न्यायालय/कार्यालयों में विचाराधीन है ।

सिद्धेश्वर प्रसाद

मो. ३११

काबिलियत डेप कं.वागार
भारती
28 JUL 2013
 प्रमाण नं० 133 को. 133 नं० 133
 प्रमाण नं० 133 को. 133 नं० 133
 उ१. री.र.दिवा





(8)

7. मुझ/हम विक्रेता/विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं० 178 के खसरा नं० 18 रकबई 0.6830 हैक्टेयर में से रकबई 0.4300 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुरवाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकताओं हेतु रुपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत केता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ

दि० २१/७/१८

गो जी

— १०० — **मावरी**

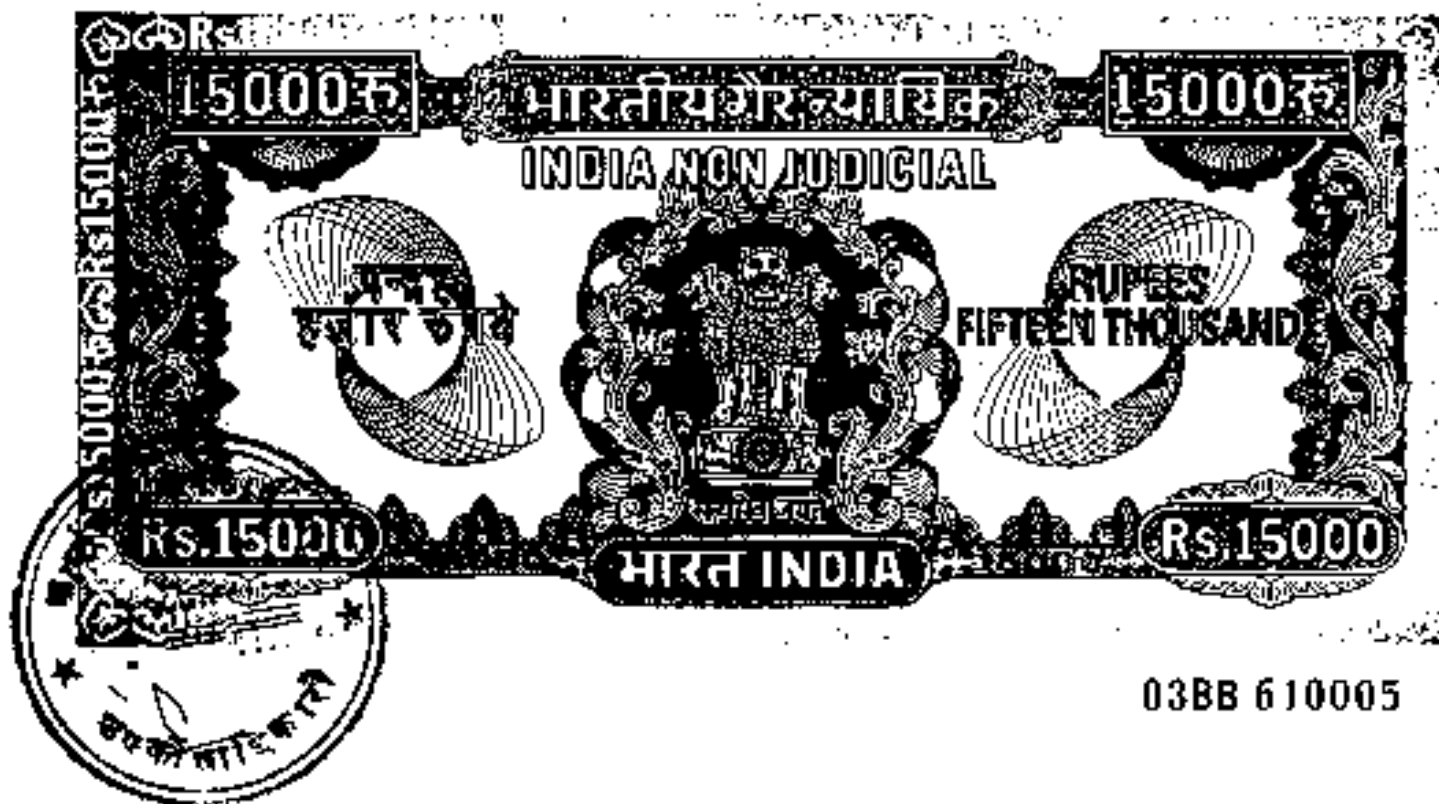
28 Dec 2003

[illegible]

एतदपि नैव प्रमाणं किं वास्तविकं विज्ञातं न

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय





(9)

विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दयाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, कायिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन रूपया अंकन 17,84,500 रुपये (सत्रह लाख चौरासी हजार पोंच सौ रुपए मात्र) जिसके आधे अंकन 8,92,250/- (आठ लाख बयानवे हजार दो सौ पचास रुपए मात्र) होते हैं, एवज में हाथ फरीक दायम केता उपरोक्त श्री श्रिजेश कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुस्यार्ई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर

कि. 2. 8. 15

माडा

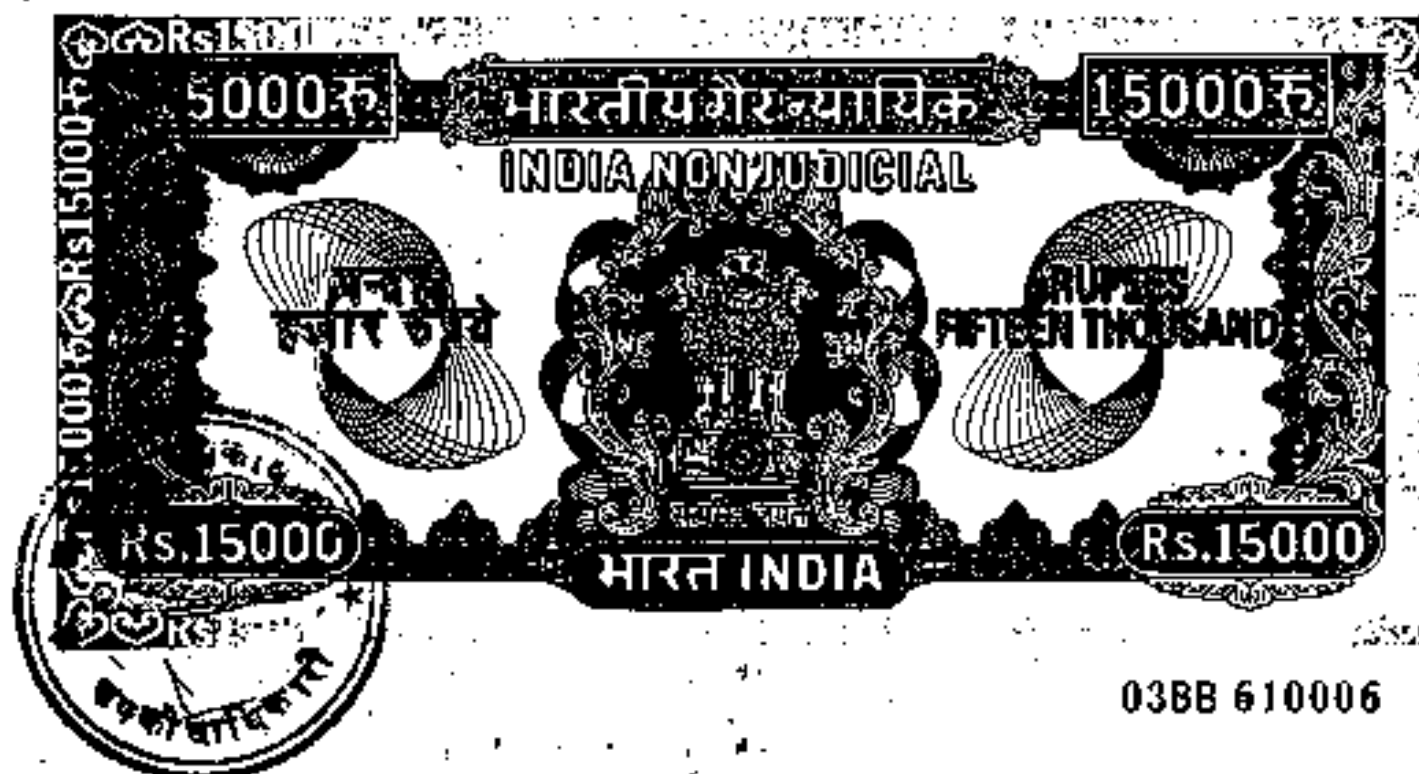
2507

3.

पत्रांक नं० ११२ स्म. १९५३

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय





(10)

को बय कर दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि में से अवशेष रकम अंकन 16,00,900/- (सौलह लाख नौ सौ रुपये मात्र) बजरिये चैक नम्बर 011311 दिनांकित 28.07.2008 का पंजाब नेशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुख विक्रेता ने केता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नहीं रहती है ।

दिनांक 28/07/08

मो.जा

कार्यालय उप क.वा.गार
बादरी

28 JUL 2006

प्राप्त No. 18 का 15 दिनांक
स्टाफ No. 18 का मिल किया गया
उप. रोहडिया





(11)

B. विक्रीत भूमि का कब्जा मौके पर केता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके केता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये हैं। उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लाये।

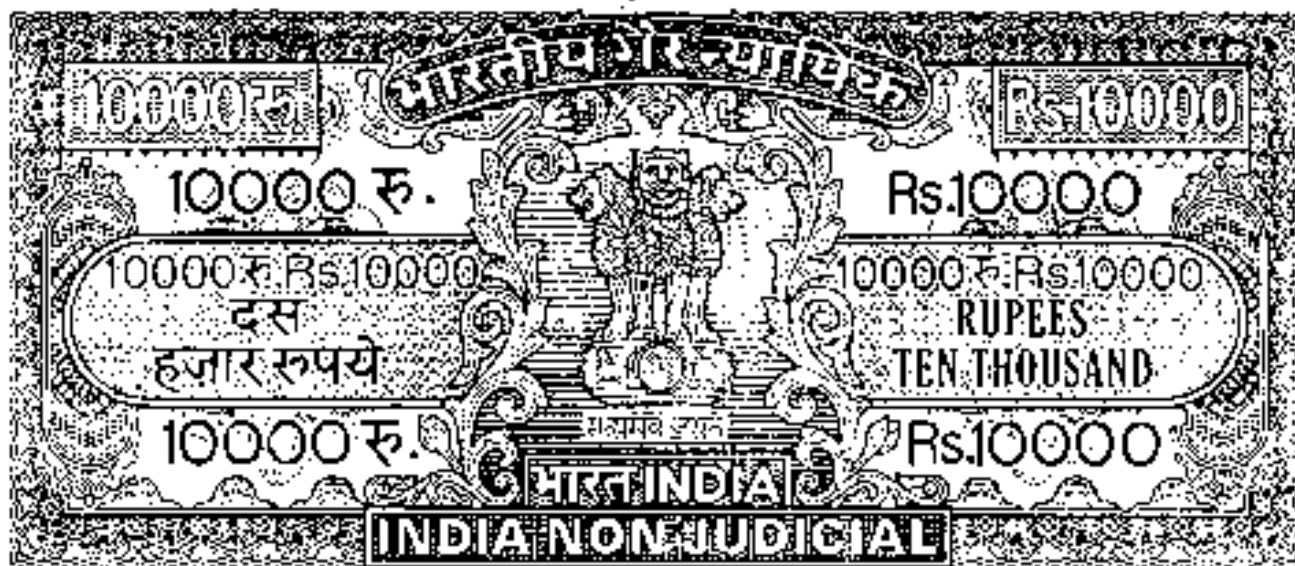
कि. २४/११/८८

ग. ३३



कार्यालय उप संचालक बाबरी
26 Jul 2009
संख्या सं० ११९, वृ० ११ नाम राज्य सं० १२६ सामिल वि० वृ० उप, गरीब





01AA 611301

(12)

9. विक्रेता, बिक्रीत भूमि के श्रावत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर बजसिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे

किशोर कुमार

मो. 311

१. नाम: श्री. राज. लाल शर्मा
 २. पता: पु. १००
 ३. १००
 ४. १००
 ५. १००
 ६. १००
 ७. १००
 ८. १००
 ९. १००
 १०. १००
 ११. १००
 १२. १००
 १३. १००
 १४. १००
 १५. १००
 १६. १००
 १७. १००
 १८. १००
 १९. १००
 २०. १००
 २१. १००
 २२. १००
 २३. १००
 २४. १००
 २५. १००
 २६. १००
 २७. १००
 २८. १००
 २९. १००
 ३०. १००
 ३१. १००
 ३२. १००
 ३३. १००
 ३४. १००
 ३५. १००
 ३६. १००
 ३७. १००
 ३८. १००
 ३९. १००
 ४०. १००
 ४१. १००
 ४२. १००
 ४३. १००
 ४४. १००
 ४५. १००
 ४६. १००
 ४७. १००
 ४८. १००
 ४९. १००
 ५०. १००
 ५१. १००
 ५२. १००
 ५३. १००
 ५४. १००
 ५५. १००
 ५६. १००
 ५७. १००
 ५८. १००
 ५९. १००
 ६०. १००
 ६१. १००
 ६२. १००
 ६३. १००
 ६४. १००
 ६५. १००
 ६६. १००
 ६७. १००
 ६८. १००
 ६९. १००
 ७०. १००
 ७१. १००
 ७२. १००
 ७३. १००
 ७४. १००
 ७५. १००
 ७६. १००
 ७७. १००
 ७८. १००
 ७९. १००
 ८०. १००
 ८१. १००
 ८२. १००
 ८३. १००
 ८४. १००
 ८५. १००
 ८६. १००
 ८७. १००
 ८८. १००
 ८९. १००
 ९०. १००
 ९१. १००
 ९२. १००
 ९३. १००
 ९४. १००
 ९५. १००
 ९६. १००
 ९७. १००
 ९८. १००
 ९९. १००
 १००. १००





062878

(13)

हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते हैं, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा और न ही है। अब विक्रय पश्चात् विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा।

मेडा

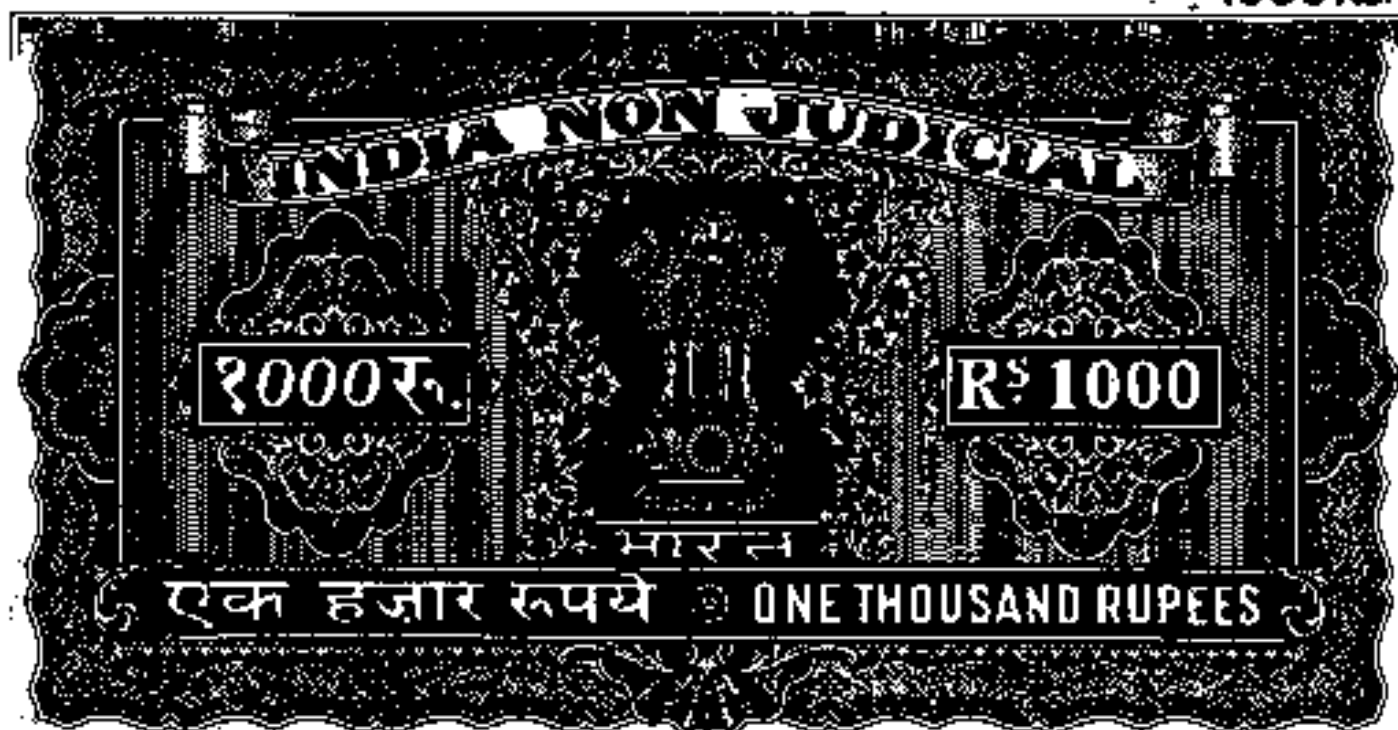
कि. २, १५/८

कार्यालय उप कोषागार
 बायरी

28 JUL 2006

प्राप्त सं. 121 का. (100) ममि
 ला. सं. 100 का. ममि का. ममि का. ममि
 उप. लेखांक





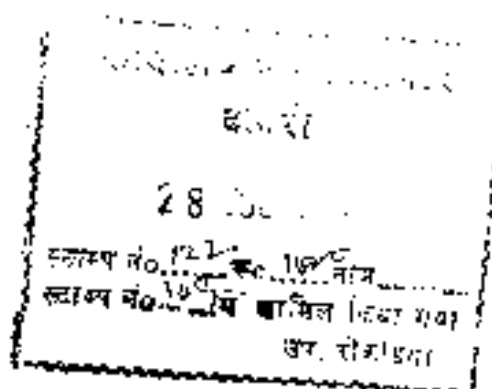
062873

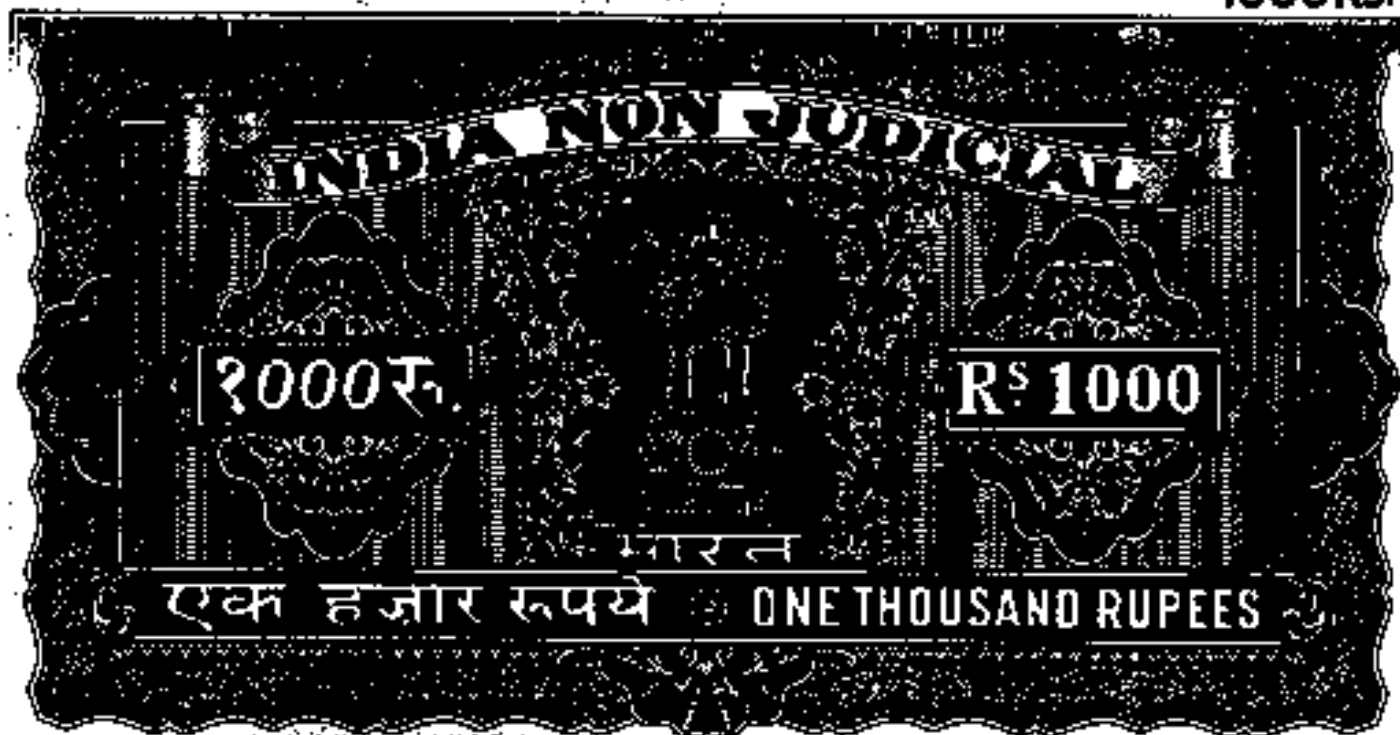
(14)

10 विकीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल / विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थापनापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थापनापन के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

मोहरा

विक्रेता/विक्रेता





062874

(15)

11. यह कि फरीक अब्दुल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदि) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हें क्रेता को सौंप देगा।

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

कि. जे. अ. भा. ८

मो. ३

उपलब्ध है। को सौंप देगा।

काशीलाय उप कोषागार

दाखरी

28 JUL 2006

प्रमाण सं० १२३/१९९० दिनांक १९/११/९०

द्वय, रोज़गार





(16)

13. अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढ़कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

बिजेन्द्र कुमार

(हस्ताक्षर गवाह)
फरीक हक्क (गवाह)

फरीक हक्क (गवाह)

गवाह नं० 1

गवाह नं० 2

श्री-फरीक हक्क पुत्र श्री-बिजेन्द्र कुमार
निवासी ग्राम-दुमरा परगना-ब
तहसील-दुमरा
जिला-मोहम्मदाबाद

श्री-बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री-फरीक हक्क
निवासी ग्राम-दुमरा परगना-ब
तहसील-दुमरा
जिला-मोहम्मदाबाद

तहरीर दिनांक 28.07.2006 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद ।

तेजेन्द्र सिंह
Advocate
C. No. 100, Court
GAZIABAD (U.P.)

कार्यालय उप कोषागार
बादरी

दिनांक 28/7/06

पत्रांक 124 को. 12 नाम

पत्रांक 10.12 को. 12 नाम

एच. सी. 12

कार्यालय दिनांक 28/7/06 का कोटेशन
प्रति पुस्तक संख्या I. खण्ड संख्या 16/
के पृष्ठ 297 पर कमाल संख्या 1095/
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

40 निबन्धक
बादरी



उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमंक : 71020115087

ग्राम का नाम : दुरवाई

परगना : धावरी

तहसील : सदरी

जमापद : गौतमकुण्डनगर

कसती वर्ष : 1411-1416

भाग : 1

खाना खतौनी कम संख्या	खानेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	विवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का कसती वर्ष	खाने के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खानेदार जमा देव सहायकारी का स्थान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का उल्लेख संख्या इसकी संख्या तथा दिनांक अहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9-12	13
श्रेणी : 1-क भूमि जो संलग्नीय भूमिगतों के अधिकार में हो।									
00178	बोना ✓	निर्मल	नि. ग्राम	पू 395क	18 ✓	1.6830			अनुसूचित श्रीमान एन.टी.महोदय मि.न.289/28-1-05 को अर्पण हुआ कि खा.स.178 के ख.न.18/0.683हे. लगभग 20.90/- वर्ग से 0.253हे. (मेडमिलान) से विज्ञापन भोग्य पूर निर्मल नि.ग्राम के स्थान पर होता श्रीमती इन्दारी पत्नी श्री कमर सेन नि. ग्राम का नाम बतौर बेनामा 228000/- दर्ज हो। इ.अ.28-1-04
					कुल गाटे : 1	कुल क्षेत्र : 1.6830	20.90		

OR
SH
15-6-06

15-6-06

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

UP Sahakari Vikas Bank Ltd

PRABH

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं. 176, खसरा नं० 18, रकबा 0.6830, स्थित ग्राम दुरिछाई, परगना दादरी, तहसील दादरी, जिला अहमदाबाद, मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, भू० उप्पल चक्का हाई टेक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद

प्रार्थी

श्री० दा० 210 निमल

जिला अहमदाबाद



[illegible]

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

PNB

टिप्पणी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सादर में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका
खता सं 178 खसरा नं० 18 रकबा 0.6830 स्थित ग्राम हरिचौर
परगना दादरी तहसील दादरी जिला जालंधर । मुझ
प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, भी० उष्णत घट्टा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० को बेचना है ।
इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता
है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०)
प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

ओंजा 510 लिफ्ट

जिला दादरी हरियाणा



जाति प्रमाण पत्र

10008

(उपरोक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए)

प्रमाण पत्र संख्या
0017102011500715886

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोजा

पुत्र श्री निर्मल निवासी गांव/नगर

दुरगढ़ तहसील दादरी

जिला गोंतमबुद्धनगर उपरोक्त राज्य की जादव

जाति के व्यक्ति है। जिसने संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई० के अनुसार कि समय-समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन-जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री मोजा दुरगढ़ तहसील दादरी जिला गोंतमबुद्धनगर तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव/नगर

में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण-पत्र राजस्व निरीक्षक, बिस्तरख की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान दादरी

दिनांक 07-04-2006

कार्यालय की मुहर सहित

तहसीलदार
दादरी

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020115087

ग्राम का नाम : दुरवाई

परगना : दादरी

तहसील : दादरी

जनपद : भीलमकुलनगर

फसली वर्ष : 1411-1416

भाग : I

खेत खतौनी का संख्या	खानेदार का नाम	पिता / पति / शेख का नाम	निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाने के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खानेदार द्वारा देब भाभगुजरी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा वा उसका संख्या इनको संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणों के अधिकार में हो।

00178	पौना	निर्मल	नि. ग्राम	गु. 395फ	18	0.6830	आदेशानुसार क्रॉस एन डी. नं. 289/28-1-05 के आदेश हुआ कि खा.स. 178 के ख.न. 18/0.6830 हे. लगान से 20/90/- में से 0.25/0 हे. (पेइजिलर) से घिरेला पौना पूरा निर्मल नि. ग्राम के स्थान पर क्रॉस ओमर हे. द्वारा पत्नी के कथर है। नि. ग्राम का नाम बातीर बैलम 228000/- रु. है। र. 23.28-1-04		
							अदेशानुसार क्रॉस एन डी. नं. 944/24-9-06 के आदेश हुआ कि खा.स. 178 के ख.न. 18/0.6830 हे. में से 0.4300 हे. से घिरेला पौना पूरा निर्मल नि. ग्राम का नाम बातीर बैलम है। र. 23.28-1-04		

कुल गाटे : कुल सं : 0.6830 20/90

11/6/07

11/6/07

11/6/07

11/6/07